न्यायालय–न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय, सहारनपुर।

C.N.R. No-UPSP040439872026

राज्य बनाम आर्यन आदि

धारा–**115(2), 352 एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता**
थाना–**नकुड़,** जनपद–**सहारनपुर।**
मुकदमा अपराध संख्या–**232/2026**

आदेश

25.05.2026

मुकदमा अपराध संख्या–**232/2026**, अन्तर्गत धारा–**115(2), 352 एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता** थाना **नकुड़,** जनपद **सहारनपुर** के अन्तर्गत अभियुक्तगण **1. आदित्य, 2. रितिक एवं 3. आर्यन** की ओर से जमानत हेतु प्रार्थना–पत्र जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण बेगुनाह एवं निर्दोष हैं और प्रार्थीगण को महज गांव की पार्टीबाजी के कारण झूठा फंसाया गया है। प्रार्थीगण द्वारा वाद के वादी के साथ कोई मारपीट नहीं की गयी है। प्रार्थीगण विद्यार्थी हैं और जेल में रहकर वाद की पैरवी करने में असमर्थ हैं। प्रार्थीगण अच्छे परिवार से हैं। वह दौरान वाद उचित जमानत देने को तैयार हैं। दौरान वाद जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी। अभियुक्तगण आज न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध हैं।

विद्वान सहायक अभियोजन व अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

उक्त मुकदमें में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के प्रार्थना पत्र पर न्यायालय द्वारा थाने से आख्या आहूत की गयी थी। थाने से प्राप्त आख्यानुसार "थाना हाजा पर मुकदमा अपराध संख्या–232/2026 धारा–115(2), 352 एवं 351(3) भारतीय न्याय संहिता बनाम 1. आदित्य पुत्र करसनपाल, 2. विक्रान्त पुत्र राजेश, 3. रितिक पुत्र अरविन्द, 4. आर्यन पुत्र अरविन्द निवासीगण ग्राम जुडडी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तगण 1. आदित्य पुत्र करसनपाल, 2. विक्रान्त पुत्र राजेश, 3. रितिक पुत्र अरविन्द, 4. आर्यन पुत्र अरविन्द निवासीगण ग्राम जुडडी थाना नकुड़ जनपद सहारनपुर मुकदमा उपरोक्त में नामजद/वांछित अभियुक्त हैं।" अभियुक्तगण प्रस्तुत मामले में आज आत्मसमर्पण कर न्यायिक अभिरक्षा में हैं। अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में आधार जमानत पर्याप्त हैं। अभियुक्त प्रत्येक द्वारा 20,000/–रूपये का एक–एक व्यक्तिगत बन्ध पत्र व समान धनराशि का एक–एक विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर दौरान वाद अभियुक्तगण को जमानत पर अवमुक्त किया जाता है।

(मेहा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय
सहार
JO CODE : UP

Digitally signed by MEHA
Date: 2026.05.26 10:47:14 GMT
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court